;	कर्मचारी राज्य बीमा निगम (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION (Ministry of labour & Employment, **Govt. Of India**)		लेखा एवं वित्त शाखा -4 निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली/ Directorate (Medical) Delhi 5वाँ & 6छठा तल कर्मचारी राज्य बीमा मॉडल अस्पताल बसईदारापुर, नई दिल्ली -110015 5th & 6th Floor, ESI Model Hospital Basaidarapur, New Delhi-110015

मिसिल संख्या:- डी.एम.ए.-19/13/2012/लेखा शाखा-4 दिनांक:- 17/06/2025

ज्ञापन

विषय:- क.रा.बी. अस्पताल, बसईदारापुर/ ओखला/ रोहिणी/ झिलमिल /साहिबाबाद/नोएडा अस्पताल/ रोहिणी दंत महाविद्यालय के 01/2025 से 06/2025 के रिकार्ड की लेखा परीक्षा के संबंध में स्थानीय आंतरिक लेखा परीक्षा दल का दौरा कार्यक्रम।

स्थानीय आंतरिक लेखा परीक्षा दल-1 और 2 का दौरा कार्यक्रम दिनांक **01/07/2025 से 30/09/2025** तक सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतू अग्रेषित किया जा रहा है। लेखा दल-1 और 2 के अधिकारी/कर्मचारी निम्नलिखित विवरण के अनुसार संयुक्त रूप से आंतरिक लेखा परीक्षण का कार्य करेंगे।

क्रम. सं.	यूनिट का नाम	लेखा परीक्षा अवधि	दौरा कार्यक्रम की अवधि	अवकाश	कुल कार्यदिवस
1	रोहिणी अस्पताल	04/25 से 06/25	01/07/25 से 11/07/25	06/07/2025	10
2	रोहिणी डेंटल कॉलेज	04/25 से 06/25	12/07/25 से 17/07/25	13/07/2025	5
3	नोएडा अस्पताल	04/25 से 06/25	18/07/25 से 29/07/25	20/07/25, 27/07/25	10
4	बसईदारापुर अस्पताल	01/25 से 06/25	30/07/25 से 23/08/25	31/07/25(LWD), 03/08/25, 10/08/25, 15/08/25, 16/08/25, 17/08/25	19
5	साहिबाबाद अस्पताल	04/25 से 06/25	25/08/25 से 03/09/25	24/08/25, 29/08/25 (LWD), 31/08/25	8
6	झिलमिल अस्पताल	04/25 से 06/25	04/09/25 से 16/09/25	05/09/25,07/09/25, 14/09/25	10
7	ओखला अस्पताल	04/25 से 06/25	17/09/25 से 29/09/25	21/09/25, 28/09/25, 30/09/25(LWD)	11
			कुल कार्यदिवस		**73**

श्री अनिल कत्याल, सहायक निदेशक आंतरिक लेखा दल-1 और 2 के प्रमुख होंगे। लेखा दल-1 और 2 का विवरण निम्नानुसार हैं:

लेखा दल-1	**लेखा दल-2**
1) श्री अनिल कुमार मक्कड़, कार्यालय अधीक्षक 2) श्री नवीन वत्स, सहायक 3) श्री मनोज कुमार, सहायक	1) श्री राजेन्द्र, कार्यालय अधीक्षक 2) श्री बिजेन्द्र कुमार, सहायक 3) श्री तौसीफ अहमद, सहायक

*उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी नियमानुसार TA/DA के हकदार रहेंगे।

संबंधित कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों से निवेदन है कि अपने कार्यालय का रिकार्ड अद्यतन करने की व्यवस्था करें ताकि लेखा परीक्षा का कार्य सुचारू रूप से निर्धारित समय से पूरा किया जा सके। यह भी निवेदन है कि लेखापरीक्षा के दौरान अपने कार्यालय के पिछले लेखापरीक्षाओं से संबंधित सभी बकाया पैरों के अनुपालना/उत्तर संबंधित सत्यापित दस्तावेज़ सहित प्रस्तुत करें ताकि स्थिति पूर्ण रूप से पुर्ननिरीक्षित की जा सके तथा अधिक पुरानी आपत्तियों का निपटान उसी समय किया जा सके। ऐसा न किए जाने की स्थिति में निदेशक (चिकित्सा) दिल्ली को वैयक्तिक रूप से ऐसी स्थिति से अवगत कराया जाएगा।

इसके अतिरिक्त लेखा दल के अधिकारियों को प्रत्येक अस्पताल के कार्यदिवस एवं कार्यालय समय के अनुसार लेखा परीक्षण करना होगा व प्रत्येक माह में निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली के अंतिम कार्यदिवस पर सभी लेखापरीक्षक एवं लेखानिरीक्षक को अपने कार्यालय में उपस्थित रहना होगा।

***नोट:-**

1. सभी चिकित्सा अधीक्षकों से निवेदन है कि लेखा दल के कर्मचारियों के बैठने की और लेखा परीक्षण के कार्य के सुचारू संचालन व रिपोर्ट तैयार करने के उद्देश्य और ई-ऑफिस में कार्यवाही के लिए एक कम्प्युटर, एक प्रिंटर और स्कैनर की व्यवस्था आवश्यक रूप से करें।

2. सभी चिकित्सा अधीक्षक मुख्यालय के निर्देशानुसार वे अपने अस्पताल के आगे 04 सालों में सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका लेखा दल को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें ताकि कर्मचारी के Promotion/MACP/ACP/Financial Upgradation इत्यादि मिलने के उपरांत वेतन निर्धारण के आदेशों का लेखा परीक्षण सुनिश्चित किया जा सकें।

यह पत्र निदेशक (चिकित्सा) दिल्ली के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

Digitally signed by
Nitish Nagar
Date: 24-06-2025
10:33:12

उप निदेशक (वित्त)

उपर्युक्त दौरा कार्यक्रम सहित प्रतिलिपि प्रेषित

1. अधिष्ठाता (डीन), क.रा.बी. महाविद्यालय, बसईदारापुर/ रोहिणी दंत महाविद्यालय।
2. चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी. अस्पताल, बसईदारापुर/झिलमिल/ओखला/रोहिणी/नोएडा/साहिबाबाद को इस अनुरोध के साथ कि लेखा परीक्षा दल को लेखा परीक्षण में सम्पूर्ण सहयोग करना सुनिश्चित करें।
3. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (प्रशा.), क.रा.बी. अस्पताल,बसईदारापुर/झिलमिल/ओखला/रोहिणी/नोएडा/साहिबाबाद/रोहिणी दंत महाविद्यालय।
4. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (वित्त), क.रा.बी. अस्पताल,बसईदारापुर/झिलमिल/ओखला/रोहिणी/नोएडा/साहिबाबाद/रोहिणी दंत महाविद्यालय।
5. कार्यालय अधीक्षक, स्थानीय लेखापरीक्षा दल-1/2 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। कृपया पुरानी आपत्तियों के निपटान हेतू व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें और आंतरिक लेखा परीक्षण नियमावली 2024 के अनुसार अस्पताल/कार्यालय के अभिलेख (रिकार्ड) का सम्पूर्ण लेखा परीक्षण करना सुनिश्चित करें। कोई भी अनियमितता का मामला होने की स्थिति में उसे अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में लाएं।
6. लेखा शाखा – 1, 2 व 3, रोकड़ शाखा नि.(चि.)दि.।
7. उप निदेशक (प्रशा.), स्थापना शाखा – 1, 2 व 3, नि.(चि.)दि।
8. वित्त आयुक्त, क.रा.बी. निगम, पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
9. ओ.एस.डी. (आई.टी.) – इस ज्ञापन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतू।